भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2982

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026 / 22 श्रावण, 1948 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि योजना का कार्यान्वयन

2982. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के लागू होने के पश्चात निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर समेकित फार्म V रिटर्न दाखिल करने वाले नियोक्ताओं की संख्या तथा कुल नियोक्ताओं में उनका प्रतिशत कितना है;

(ख) 29 जून, 2026 से नई योजना के अंतर्गत उन्नत अभिशासन मानकों के अनुपालन के लिए कितने निजी रूप से प्रबंधित छूटप्राप्त भविष्य निधि न्यासों की लेखापरीक्षा की गई है; और

(ग) योजना के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के डिजिटल संक्रमण, (पासबुक लाइट तथा यूएएन फेस प्रमाणीकरण) के लिए आवंटित, स्वीकृत, निर्गत और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क): सरलीकरण की चल रही प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, प्रपत्र V के आंकड़ों का विवरण (ईपीएफ योजना, 2026 का पैरा 24 (1)) नियोक्ताओं द्वारा दाखिल किए गए मासिक इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ईसीआर) से लिया जाता है। चूंकि नई योजना दिनांक 29.06.2026 से प्रचालन में है, इसलिए जुलाई माह के लिए प्रपत्र V को दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त है।

(ख): ईपीएफ छूट पर नई सरलीकृत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, वार्षिक भौतिक अनुपालन लेखापरीक्षा के स्थान पर ऑनलाइन जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा व्यवस्था लागू की गई है। आज की तारीख तक नई योजना के अधीन किसी भी छूट प्राप्त स्थापन की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपूर्ण यूनिफाइड पोर्टल परियोजना (जिसमें पासबुक लाइट और एफएटी के माध्यम से स्व-यूएएन आवंटन का कार्य शामिल है) के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) के अधीन सीडैक को स्वीकृत और भुगतान की गई राशि 24.41 रूपये करोड़ थी।

इसके अलावा, सीडैक द्वारा ही विकसित केंद्रीयकृत आईटी समर्थित प्रणाली (सीआईटीईएस) परियोजना को भी हाल ही में दिनांक 3 जुलाई 2026 को शुरू किया गया है। इस परियोजना के लिए, स्वीकृत 53.93 करोड़ रूपये की कुल परियोजना लागत में से आज की तारीख तक 6.36 रूपये करोड़ के अग्रिम का भुगतान किया जा चुका है।
